सत्यमेव जयते

Case No. 110 /2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

(Summons)

फाइल सं.: NCST/ATY-2295/BR/11/2025-RU-IV

श्री सुशांत कुमार सरोज,
पुलिस अधीक्षक,
जिला बगहा-, पश्चिम चंपारण
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
नरईपुर, बगहा, बिहार 845101
Email Id: sp-bagah-bih@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषन करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकडा के समक्ष दिनांक **01/12/2025** को **16:30 HRS**, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्द्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

<u>**मामलें का संदर्भ**</u> :-

<u>संदर्भ 1</u> (i) थाना प्रभारी थानाद्वारा अनुसूचित जनजाति के (बिहार) पश्चिम चंपारण -रामनगर जिला- व्यक्ति के घर रात्रि में घुसकर, घर की महिलाओं और नाबालिग बच्चों के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग, वयोवृद्ध व्यक्ति को बिना किसी वारंट, न्यायालय के आदेश के बिना पकड़कर थाने में रखने के बाद किसी दूसरे नाम के व्यक्ति के वारंट में कूट रचना कर न्यायालय में चालान करने पर थाना प्रभारी, थानाश्री राजेन्द्र प्रसाद साह -रामनगर पर मुकदमा दर्ज करने के संबंध में-, पुत्र श्री भोला साह, ग्राम-मेघवल मठिया, जिलाअभ्यावेदन ।/का पत्र (बिहार) पश्चिम चंपारण -

(ii) NCST Sitting notice dated 29.09.2025

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 19/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003

मोहर

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

Copy to:- NIC for uploading